



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

विषय: अत्यावश्यक: कनाडा में व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) पर सुझाव

प्रिय सदस्य,

प्लेक्सकॉन्सिल की ओर से नमस्कार!

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने प्लेक्सकॉन्सिल से कनाडा के बाजार में भारतीय निर्यातकों को **व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) पर उद्योग जगत से सुझाव प्राप्त करने का अनुरोध किया है। ये सुझाव भारत-कनाडा सीईपीए वार्ता के** आगामी तीसरे दौर के एजेंडा में शामिल किए जाएंगे।

कनाडा को निर्यात करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे **टैरिफ के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की बाधाओं या बाजार पहुंच संबंधी चुनौतियों** का विवरण साझा करें, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- परीक्षण, निरीक्षण या प्रमाणन संबंधी आवश्यकताओं का दोहराव;
- भारतीय प्रयोगशालाओं द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों/प्रमाणपत्रों को स्वीकार न करना;
- पारस्परिक मान्यता समझौतों (एमआरए) का अभाव;
- प्रतिबंधात्मक या बोझिल तकनीकी नियम, मानक या उत्पाद सुरक्षा आवश्यकताएं;
- पैकेजिंग और लेबलिंग संबंधी आवश्यकताएं (द्विभाषी या प्रांतीय लेबलिंग संबंधी आवश्यकताओं सहित); और
- कनाडा को निर्यात को प्रभावित करने वाली टीबीटी से संबंधित कोई अन्य व्यापारिक चिंता।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने अभ्यावेदन, सहायक दस्तावेज या विशिष्ट केस स्टडी **मंगलवार, 7 जुलाई 2026 तक** bharti@plexconcil.org या research@plexconcil.org पर जमा करें ताकि हम उन्हें समेकित करके निर्धारित समय सीमा के भीतर मंत्रालय को प्रस्तुत कर सकें।

आपकी समयोचित प्रतिक्रिया से भारत की वार्तात्मक स्थिति को मजबूत करने और प्लास्टिक निर्यात क्षेत्र को प्रभावित करने वाले बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी।

सम्मान,
टीम प्लेक्सकॉन्सिल